संख्याः 6481 / 8–3–2008–34विविध / 2003

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2009

विषयः हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 4916 / 8–1–07–34विविध / 03, दिनांक 27.08.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2008 के प्रस्तर–1(5) में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है :–

''हाई–टेक टाउनशिप हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के स्वामित्व की भूमि को विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में क्रय / पुनर्ग्रहण / अर्जन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध करने हेतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से अपना प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।''

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2008 के प्रस्तर–1(5) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

''हाई–टेक टाउनशिप हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के स्वामित्व की भूमि को विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में क्रय / पुनर्ग्रहण / अर्जन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध करने हेतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से अपना

प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। हाई–टेक टाउनशिप के चयन स्थल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जितनी भूमि विकासकर्ता द्वारा क्रय की जायेगी उतनी ही भूमि आस–पास के क्षेत्र में क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी।''

3. शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

भवदीय,
ह0/–
श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. महानिरीक्षक, निबन्धक एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश
14. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/–
एच.पी. सिंह
अनु सचिव